न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0 आर0 एक्ट संख्या 83/2014/जिला टोंक

संशोधित उनवान

सूरजमल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक।

................अपीलांट

बनाम

1. मूली देवी पत्नि बोदूराम मृतक जरिये वारिसान
1/1 हनुमान पुत्र बोदूराम
1/2 गोपाल पुत्र बोदूराम
1/3 गणेश पुत्र बोदूराम
1/4 रामजीलाल पुत्र बोदूराम
1/5 कैलाश पुत्र बोदूराम
1/6 लादीदेवी पुत्री बोदूराम
1/7 रोडीदेवी पुत्री बोदूराम
1/8 रामप्यारी पुत्री बोदूराम
समस्त जाति जाट निवासीयान ढाणी रूघनाथपुरा, पारली, तह0 मालपुरा टोंक।
2. केदार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी पचेवर तहसील मालपुरा हाल बैंक कोलोनी अम्बावाड़ी जयपुर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक।

................रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा दिनांक 16.01.2017 प्रकरण संख्या 05/2016 में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0ः–श्री मुकेश जैन(अपीलांट अभि0)
श्री एस0एल0चौधरी(रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय   दिनांकः–13.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 1 मूली देवी द्वारा खसरा नम्बर 37/2008,38/2003,37/2009,32/2009,33/2001 कुल रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक [illegible]2012 को क्रय किया है। मगर उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामातंरण नहीं खोला गया है। विक्रय पत्र के आधार पर नामातंरण तस्दीक किया जावें। इस पर अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मुकदमे विचाराधीन है तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही भी विचाराधीन बताई तथा रेस्पो0 1 का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया। मगर तहसीलदार न्यायालय मालपुरा द्वारा दिनांक 05.11.2014 के द्वारा रेस्पो0 1 के पक्ष में पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामातंरण कार्यवाही कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है–

1. दिनांक 24.06.2010 को राजस्व रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किये हुए है किन्तु तहसीलदार मालपुरा द्वारा फिर भी नामातंरण स्वीकृत किया गया है जो गलत है।

2. बिना कब्जे के नामातंरण की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण तरीके से की गई है। केदार द्वारा प्रस्तुत बटवारे के वाद में तैयार की गई, बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट में भी केदार का कोई कब्जा नहीं बताया गया है।

3. स्थगन आदेश के प्रभावी होने पर नामातंरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

4. अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है। अतः पृथक से 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जायें। तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 05.11.2014 निरस्त किया जायें।

सर्वप्रथम अपील के अंदर मियाद होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा तहसीलदार दिनांक 05.11.2014 का है व न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत की जाना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें यह अंकित किया गया है कि केदार द्वारा प्रस्तुत वाद में ही दिनांक 24.06.2010 से यथास्थिति के आदेश जारी किया हुआ है। जो अब तक प्रभावी है। मगर फिर भी तहसीलदार द्वारा नामातंरण स्वीकृत किया गया है। अतः मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये जायें। अन्यथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 05.11.2014 एस0डी0ओ मालपुरा में विचाराधीन दावा केदार बनाम सुरजमल 386/2009 की प्रमाणित सत्यप्रति ऑर्डरशीट दिनांक 04.11.2009 से 24.06.2010 की सत्यप्रतिलिपी तथा नामातंरण संख्या 7732 ग्राम पचेवर की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है। इसके अलावा सुरजमल बनाम केदार प्रकरण संख्या 229/2009 एस0डी0ओ मालपुरा उक्त प्रकरण में दिनांक 27.11.2009 से 24.06.2010 की फोटोप्रतिलिपी तथा राजस्व मण्डल अजमेर में सुरजमल द्वारा दायर निगरानी 3969/2013 निर्णय दिनांक 22.10.2013 की सत्यप्रतिलिपी प्रस्तुत की।

अपील दर्ज स्तर पर ही दिनांक 10.12.2014 को राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया गया।

अपील में सुनवाई के दौरान वकील श्री भगवान सिंह राजावत द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया की रेस्पो0 1 मूलीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस क्रमशः हनुमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: Self Attested

पुत्र बोदूराम, गोपाल पुत्र बोदूराम, गणेश पुत्र बोदूराम, रामजीलाल पुत्र बोदूराम, कैलाश पुत्र बोदूराम सभी जाति जाट निवासी ढाणी रघुनाथपुरा तन पारली तहसील मालपुरा एवं लादीदेवी पुत्री बोदूराम पत्नि लक्ष्मण जाट, लोहड़ीदेवी पुत्री बोदूराम पत्नि गोपाल जाट दोनो हाल निवास रेहटा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर एवं रामप्यारी पुत्री बोदूराम पत्नि हनुमान जाट हाल निवासी बालापुरा ग्राम पंचायत सेवा, तहसील दूदूं इसके वारिसान है। इन वारिसान को राइट टू स्यू सरवाइव करता है। इन्हें रिकोर्ड पर लिया जाकर रेस्पो0 1 मूली का नाम तर्क किया जायें।

अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर मनन किया गया। मूलीदेवी के वारिसान 1 से 8 को पत्रावली पर लिया जाने की आज्ञा दी गई तथा रेस्पो0 मूली देवी का नाम तर्क किये जाने का आदेश दिया गया। संशोधित उनवान प्राप्त करने का आदेश दिया गया।

रेस्पो0 2 की तलबी नहीं होने से अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 5 नियम 20 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त रेस्पो0 2 की तलबी अखबार के माध्यम से करवाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार करते हुए अखबार में सूचना प्रदर्शित करने की कार्यवाही की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट के अनुसार एक नियमित वाद सिविल कोर्ट में पैडिंग है। एक राजस्व वाद पैंडिंग है। रेस्पो0 का कब्जा नहीं है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा दिनांक 27.11.2012 को स्टे दिया गया है। रजिस्ट्री के निरस्तीकरण बाबत वाद विचाराधीन है। वकील रेस्पो0 के अनुसार स्टे किस बात का है । यह स्पष्ट करावे विक्रय दिनांक 19.07.2012 का है और स्टे दिनांक 06.10.2012 का है। हमने भूमि पूर्व में खरिदी है। हमने 1/2 हिस्सा जमीन खरीदी है। अपीलांट का 1/2 हिस्सा होता है। आगे बेचान नहीं करेगा इस बाबत स्टे दिया गया है। हमने केदार से उसका आधा हिस्सा क्रय किया है। अपीलांट ने केदार से मिली भगत कर दावा किया है। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई अच्छे से की गई है। अपील खारिज की जायें।

वकील रेस्पो0 द्वारा **1. आरआरडी 1995 पेज(120)**–इसमें यह बताया गया है कि जब एक नामातंरण स्वीकृत हो चुका हो और पक्षकारों के मध्य दावा विचाराधीन हो तथा नामातंरण के विरूद्ध एक अपील सक्षम न्यायालय में दर्ज हो तो अपीलेट ऑथोरिटी को अपील को मेरिट पर तय करना होता है।, **2. 2003 आरआरटी पेज(1046,1176)**–इसके अनुसार एस0डी0ओ द्वारा नामातंरण के विरूद्ध अपील देरी से प्रस्तुत होने से खारिज की गई ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में नामातंरण तस्दीक किया गया। पक्षकारों के बीच नियमित वाद विचाराधीन है, नामातंरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा अधिकार व टाइटल का निर्णय नहीं किया जा सकता है। विलम्ब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। निष्कर्ष वाद के विचाराधीन [illegible] नहीं है आदेश यथावत रखें।, **3. 1999 आरबीजे पेज (127,481)**–इसके अनुसार जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामातंरण की कार्यवाही को रोका जाये।, **4. 200[illegible] आरबीजे पेज(428)**–जब विवादित भूमि बाबत नियमित वाद चल रहा [illegible] जिसमें [illegible] के अधिकारों का निर्णय होना है वहां नामातंरण कार्यवाही को वाद निर्णय तक पैडिंग रखा जाना है।, **5. 2011**

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: Self Attested

आरबीजे पेज(559)–जब नियमित वाद विवादित भूमि हेतु पक्षकारों के मध्य पैडिंग है जिसमें अधिकार का निर्णय होना है तब विवादित भूमि से संबंधित नामातंरण को वाद के निर्णय होने तक पैडिंग रखा जायें।, 6. 2007 आरआरडी पेज(125), 7. आरआरडी 2010 पेज 392–नियमित वाद में निर्णय होने के उपरांत ही नामातंरण बाबत कार्यवाही की जायें।, 8. 1995 आरआरडी पेज(124,141)–प्राकृतिक वारिसान के संदर्भ में यदि नामातंरण नहीं खोला गया है तो नामातंरण तस्दीक करने वाले अधिकारी को यह जानकारी जरूर करनी चाहिए कि जो व्यक्ति नामातंरण चाह रहा है उसका कब्जा एवं प्रथम दृष्टया टाइटल है या नहीं है।, 9. 2006 आरबीजे पेज(366)–जब रेगुलर वाद सक्षम न्यायालय में पैडिंग है तो नामातंरण जैसी कार्यवाही को रोका जायें।, 10. 2007 एआईआर राज0 पेज 73–राजस्व वाद के दौरान भूमि का बेचान किया गया। ऐसा स्थानान्तरण लिस पैंडेंस सिद्धांत के आधार पर शून्य माना जायेगा ऐसे प्रकरण में सैल डीड को सिविल कोर्ट से अपास्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।, 11. 1989 आरआरडी पेज 224–पक्षकारों के मध्य वाद के पैडिंग रहते हुए विवादित भूमि का विक्रय गलत है। क्योंकि वाद के पैडिंग रहते हुए कुछ भी नया शामिल नहीं किया जा सकता है।, 12. 2000 आरबीजे पेज 53–अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वेकेंट होने पर जमीन खरीदी गई, उसके कुछ समय बाद विक्रेता की मृत्यु हो गयी, दावे के पैडिंग रहते हुए भूमि स्थानांतरण किया गया जो टी0पी0एक्ट के धारा 52 का उल्लघंन है।, 13. 1985 आरआरडी पेज 170–नामातंरण जैसी समरी कार्यवाही को रेगुलर वाद के पैडिंग रहते रोका जाना चाहिए, 14. 1995 आरआरडी पेज 120–जब कोई नामातंरण तस्दीक कर दिया गया हों तथा दोनो पक्षकारों के मध्य वाद भी पैडिंग हो तो नामातंरण के खिलाफ अपील भी प्रस्तुत कर दी हो तो अपीलेट अधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह अपील का निस्तारण मेरिट पर करें। लेकिन यदि यह पाया गया हो कि विवाद के विषय निर्णय हेतु कठिन है तो सबसे अच्छा यह होगा कि नामातंरण को अपास्त करते हुए आगे की कार्यवाही रोकी जायें, जब तक कि पक्षकारों के मध्य वाद का निर्णय न हो जायें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी संवत 2067–70 ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा के खाता नये 148 के अनुसार केदार पुत्र किशनलाल का आधा हिस्सा है तथा आधा हिस्सा सुरजमल के नाम दर्ज है। कुल खसरा नम्बर 3 है तथा रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा है। केदार पुत्र किशनलाल से मूलीदेवी द्वारा दिनांक 19.07.2012 को उसका पुरा आधा हिस्सा क्रय किया।

दिनांक 07.10.2014 को मूलीदेवी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2012 के अनुसरण में नामातंरण खोले जाने बाबत तहसीलदार को एक आवेदन पत्र दिया। दिनांक 10.10.2014 को उस प्रार्थना पत्र पर पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसने अपने टिप्पणी में यह कहा कि भूमि [illegible] न्यायालय में विचाराधीन है तथा यह भी कहा कि ए0डी0जे0 कोर्ट मालपुरा में दिनांक 06.10.2012 के आदेशानुसार विवादित भूमि को विक्रय नहीं करने हेतु आदेशित किया गया। इसमें प्रार्थना पत्र टी0आई0 का बहस करने हेतु दिनांक 21.10.2014 नियत है। मूलीदेवी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 123 में बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: Self-Attested

सुनवाई दिनांक 05.11.2014 को अपना निर्णय दिया। जिसके अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2012 के अनुसार विक्रेता के स्थान पर क्रेता के नाम नामातंरण की कार्यवाही कर राजस्व रिकोर्ड अमल–दरामद किये जाने का आदेश जारी किया गया।

केदार द्वारा सुरजमल के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी मालपुरा में 221/209 से प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 11.11.2009 को यथास्थिति का आदेश जारी किया गया। जिसे दिनांक 24.06.2010 से वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनो पक्षों की सहमति से रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने बाबत आदेश जारी किया गया। सुरजमल द्वारा केदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 289/2012 से दर्ज करवाया गया। जिसमें दिनांक 19.07.2012 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति रखने बाबत आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 27.08.2012 को बाद सुनवाई खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर सुरजमल द्वारा रिस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 290/12 लगाया। जिस पर सुनवाई करने के बाद उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.08.2012 को ही खारिज कर दिया गया। ए0डी0जे0 मालपुरा टी0आई0 प्रार्थना पत्र 22/12 की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 06.10.2012 के अनुसार उनके द्वारा अगली पेशी दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी संख्या अन्य को विक्रय न करने बाबत पाबंद किया गया। सुरजमल बनाम केदार वादपत्र संख्या 395/09 को दिनांक 23.03.2012 को सुरजमल की अनुपस्थिति की वजह से अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

सुरजमल द्वारा आरएए टोंक के निर्णय दिनांक 06.06.2013 के विरूद्ध द्वितीय अपील 3970/2013 से राजस्व मण्डल में दर्ज करवायी गई। जिस पर सुनवाई के बाद राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06.2013 से उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2012 तथा आएए टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2013 को यथावत रखा गया।

सुरजमल द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध आरएए टोंक में अपील संख्या 66/2012 नम्बर से अपील दर्ज करवायी गई। जिसे दिनांक 06.06.2013 को उनके द्वारा खारिज कर दी गई। आरएए टोंक के उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2013 के विरूद्ध सुरजमल द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी 3969/13 प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 22.10.2013 को बाद सुनवाई निगरानी को स्वीकार किया गया तथा दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध नामातंरण संख्या 7732 ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा का अवलोकन किया गया। नामातंरण के कॉलम संख्या 7 में केदार पुत्र किशनलाल हिस्सा आधा कौम महाजन शेष बदस्तूर जमाबंदी दर्ज किया हुआ है। नामातंरण के कॉलम नम्बर 9 मूलीदेवी पत्नि बोदू जाति जाट निवासी ढाणी रघुनाथपुरा, तनपारली हिस्सा आधा शेष बदस्तूर जमाबंदी दर्ज किया है। उक्त नामातंरण दिनांक 12.11.2014 को पटवारी पचेवर द्वारा भरा गया दिनांक 17.11.2014 को गिरदावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा इसकी जांच की हुई तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.11.2014 को उक्त नामातंरण स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण में बहस के दौरान मुख्य रूप से जिस बिन्दु पर जोर दिया गया। वह यह है कि विवादित भूमियों हेतु विभिन्न वाद राजस्व एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तथा स्टे के बावजूद भूमि का विक्रय किया गया।

सर्वप्रथम विभिन्न वाद जो बताये गये है वे निम्नानुसार है–

1. केदार बनाम सुरजमल प्रकरण संख्या 386/2009 उपखण्ड अधिकारी मालपुरा न्यायालय किस्म दावा–उक्त प्रकरण में दिनांक 21.05.2012 को प्राथमिक डीक्री तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये। उक्त प्राथमिक डीक्री आदेश के विरूद्ध सुरजमल द्वारा आरएए टोंक में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसे उन्होनें दिनांक 06.06.2013 को खारिज कर दिया। आरएए टोंक के निर्णय के विरूद्ध सुरजमल द्वारा पुनः राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 30.07.2013 को राजस्व मण्डल की डबल बेंच के द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. आरएए टोंक के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 3969/2013 द्वारा सुरजमल–राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा उक्त निगरानी स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 27.08.2012 एवं आरएए टोंक के निर्णय दिनांक 06.06.2013 को निरस्त कर दिया गया।

3. सिविल न्यायालय ए0डी0जे0 मालपुरा प्रकरण संख्या 22/2012 अस्थाई निषेधाज्ञा सुरजमल बनाम केदार–दिनांक 06.10.2012 को अप्रार्थी 1 व 2 को विवादित भूमि का अन्य विक्रय नहीं करने बाबत पाबंद किया जायें।

4. वाद संख्या 395/2009–टी0आई0 प्रार्थना पत्र 229/2009– दिनांक 24.06.2010 को राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बाबत आदेश दावे के अंतिम निस्तारण तक लेकिन दिनांक 23.03.2012 को दावा अदमहाजरी–अदमपैरवी में खारिज।

5. प्रार्थना पत्र सुरजमल बनाम केदार 289/2012 अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.07.2012 एकपक्षीय आदेश मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत जो कि दिनांक 27.08.2012 को खारिज कर दिया।

विवादित भूमियों से संबंधित विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2012 का ही है। मगर प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र सुरजमल बनाम केदार 289/2012 अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.07.2012 आदेश मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत एकपक्षीय रूप से दिया गया था। केदार न्यायालय में उपस्थित नहीं था। उक्त एकपक्षीय आदेश भी दिनांक 27.08.2012 को खारिज कर दिया गया। सिविल न्यायालय द्वारा भी भविष्य में विवादित भूमि के अन्यत्र स्थानांतरण/विक्रय पर दिनांक 06.10.2012 को रोक लगायी थी। तहसीलदार द्वारा विवादित नामातंरण 7732 दिनांक 18.11.2014 को स्वीकार किया गया तथा उनके द्वारा प्रकरण संख्या 123(मूलीदेवी बनाम केदार) के निस्तारण बाबत आदेश दिनांक 19.11.2014 को जारी किया गया। उक्त दोनों ही दिनांक दिवस पर किसी न्यायालय/शेष द्वारा को स्टे था या नहीं यह अपीलांट द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। केदार द्वारा अपना हिस्सा दिनांक 19.07.2012 को विक्रय कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। केदार सुरजमल के साथ सहखातेदार है। वह अपने हिस्से का बंटवारा करा सकता है तथा अपने हिस्से तक की भूमि का विक्रय बिना बंटवारा कराये भी कर सकता है। एडवर्ष पजेशन के आधार पर राजस्व मण्डल के लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार सुरजमल कोई अधिकार केदार की भूमियों बाबत प्राप्त नहीं कर सकता है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि केदार द्वारा अपने हिस्से तक की भूमि का ही विक्रय रजिस्टर्ड डॉकुमेंट के माध्यम से किया गया है। तथा वह ऐसा करने के लिए सक्षम भी था। सुरजमल को एडवर्ष पजेशन के आधार पर कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 123 दिनांक 05.11.2014 को उचित निर्णय दिया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई ओचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार मालपुरा प्रकरण संख्या 123 दिनांक 05.11.2014 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय यथावत रखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:10 IST
Reason: SelfAttested